

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक—एफ-३ / ३९ / २०१६ / १८-५
प्रति,

भोपाल, दिनांक / १२ / २०१६

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :— हनुवंतिया विकास योजना (प्रारूप) 2035 का अनुमोदन ।

उपरोक्त विषय में विभागीय हिन्दी एवं अंग्रेजी की सूचना दिनांक ०८ / १२ / २०१६ एवं सामान्य प्रशासन विभाग से असाधारण राजपत्र की अनुमति दिनांक ०८ / १२ / २०१६ की प्रति संलग्न है। कृपया उक्त सूचना को असाधारण राजपत्र में दिनांक ०८ / १२ / २०१६ को प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की १० प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : यथोपरि

1

(सुप्रिया पेंडके)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक ०८ / १२ / २०१६

क्रमांक—एफ-३ / ३९ / २०१६ / १८-५

प्रतिलिपि:-

आयुक्त सह सचांलक नगर तथा ग्राम निवेश की और विभागीय सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त सूचना को नगरानि की बेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

Supt

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

अवर सचिव

संख्या	१७२३
तिथि	०९/१२/१६
प्राप्ति	Add.Dr. T
विकास योजना	
मार्ग	०८
मार्ग	०८

Supt
०८/१२/१६
JDms

1005
०८/१२/१६
Supt
०८/१२/१६
०८/१२/१६

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल, दिनांक ४ / १२ / २०१६

क्रांक एफ-३-३९/२०१६/१८-५ मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (संग्रह 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (४) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा हनुवंतिया निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(१)में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्—

- 1—आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर म.प्र.।
- 2—कलेक्टर, खण्डवा जिला खण्डवा म.प्र.।
- 3—मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खण्डवा म0प्र0।
- 4—मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मूंदी म.प्र.।
- 5—उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय खण्डवा म.प्र.

2/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (५) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

**Government of Madhya Pradesh
Urban Development & Housing Deptt.
Mantralaya**

//Notice //

Bhopal, dated 8-12-2016

No. ,F-3-39/2016/18-5 Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Hanvantiya,2035(Planning Area) under sub- section (1) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973(No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Commissioner, Indore Division, Indore M.P.
2. Collector, Khandwa District , Khandwa M.P.
3. C.E.O. Jila panchayat Khandwa M.P.
3. C.M.O, Municipal Council, Mundi M.P.
4. Dy Director, Town & Country Planning Distt. office Khandwa M.P

2/ The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5) of M.P.Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh



(C.K.Sadhav)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh
Urban Development & Housing Deptt.



6/14/wm